प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 03.03.2026

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 54000/- रु0 की धनराशि वापस करायी गई।

दिनांक 03.03.2026 को साइबर सेल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदक श्री जितेन्द्र सिंह निवासी सुपरटेक लिविंग्स्टन थाना क्रासिंग रिपब्लिक गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गई 54000 /- रु धनराशि आवेदक को वापस करायी गई।

कार्यवाही का विवरण-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद को NCRP पोर्टल के माध्यम से आवेदक श्री जितेन्द्र सिंह के साथ ऑनलाइन ठगी से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सेल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदक के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को सम्बधित मर्चेन्ट से पत्राचार व अन्य प्रयासों के बाद दिनांक 03.03.2026 को आवेदक के साथ हुई साइबर फ्रॉड की 54000/- रु0 की धनराशि साइबर सेल टीम थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद द्वारा वापस कराया गया। आवेदक द्वारा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक आकर थाना प्रभारी महोदय एवं पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

साइबर सेल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 अर्टिगा कार बरामद।

दिनांक 13.01.2026 को वादी श्री पराग जैन निवासी एमएम 12, फ्लैट न0 एसएफ 1 डीएलएफ अंकुर विहार गाजियाबाद द्वारा थाना अंकुर विहार को सूचना दी गयी कि अज्ञात चोरों के द्वारा उनकी अर्टिगा कार चोरी कर ली गयी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अंकुर विहार पर तत्काल सुसंगत धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कर घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 03.03.2026 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त मोनू उर्फ यशवीर यादव पुत्र धर्मवीर सिंह निवासी ग्राम सराय घासी थाना सिकन्द्राबाद जिला बुलन्दशहर उम्र करीब 31 वर्ष को सभापुर अण्डरपास के पास थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से चोरी की गयी 01 अर्टिगा कार बिना नम्बर प्लेट तथा जिसके इंजन व चैसिस नम्बर मिटे हुए है, बरामद हुयी। उक्त बरामदगी तथा इंजन व चैसिस नम्बर मिटाने के आधार

पर पंजीकृत अभियोग में धारा 318(4)/317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मैंने यह गाडी अपने साथी बबलू खान व फैजल निवासी दिल्ली के साथ मिलकर जनवरी में रात्रि के समय डी0एल0एफ0 अंकुर विहार से चोरी की थी। गाडी की पहचान छिपाने के लिए मैंने इस अर्टिगा गाडी की नम्बर प्लेट निकाल कर इंजन व चैसिस नम्बर मिटा दिये थे। इसके अलावा भी हम तीनों ने मिलकर फरवरी महीने में रात्रि के समय एक ईको गाडी नं0 DL1CAE3904 ईनाम विहार, अंकुर विहार से भी चोरी की थी, जो अभी बबलू खान व फैजल के पास है। आज मैं इस अर्टिगा कार को बेचने की फिराक में जा रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मोनू उर्फ यशवीर यादव पुत्र धर्मवीर सिंह निवासी ग्राम सराय घासी थाना सिकन्द्राबाद जिला बुलन्दशहर उम्र करीब 31 वर्ष।

वांछित अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.बबलू खान पुत्र नामालूम निवासी दिल्ली
2. फैजल पुत्र नामालूम निवासी दिल्ली

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से चोरी की गयी 01 अर्टिगा कार बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध चोरी/ बरामदगी के 02 अभियोग कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में, चोरी/ बरामदगी 02 व गैंगस्टर का 01 अभियोग जनपद बुलन्दशहर में, चोरी/ बरामदगी का 01 अभियोग कोतवाली गाजियाबाद में तथा चोरी/ बरामदगी के 03 अभियोग थाना अंकुर विहार गाजियाबाद पर (कुल 09 अभियोग) पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध नशीला एल्प्राजोलम पाउडर बेचने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 130 ग्राम अवैध नशीला एल्प्राजोलम पाउडर बरामद।

आज दिनांक 03.03.2026 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध नशीला एल्प्राजोलम पाउडर सहित 01 अभियुक्त राशिद पुत्र मनोहर मूल निवासी ग्राम उझारी थाना शहद नगरी जिला अमरोहा व हाल निवासी किराये का मकान, अशोक नगर गौतमबुद्ध नगर, उम्र करीब 30 वर्ष को भूमिया माता मंदिर के पास विकास नगर थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से कुल 130 ग्राम अवैध नशीला एल्प्राजोलम

पाउडर बरामद हुआ। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना अंकुर विहार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं दिल्ली से चोरी छिपे अवैध नशीला एल्प्राजोलम पाउडर को खरीद कर लाता हूँ तथा इसकी पुडिया बनाकर राह चलते व्यक्तियों को बेच देता हूँ तथा मुनाफा कमा कर अपने शौक पूरा करता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

राशिद पुत्र मनोहर मूल निवासी ग्राम उझारी थाना शहद नगरी जिला अमरोहा व हाल निवासी किराये का मकान, अशोक नगर गौतमबुद्ध नगर, उम्र करीब 30 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कुल 130 ग्राम अवैध नशीला एल्प्राजोलम पाउडर बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध थाना अंकुर विहार पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा गाजियाबाद की सीमा के अन्तर्गत 01 जिला बदर अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण:- आज दिनांक 03.03.2026 को थाना लिंकरोड़ पुलिस टाम द्वारा चैकिंग के दौरान मा0 न्यायालय व अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के आदेश का उल्लंघन करने पर 01 अभियुक्त सत्यभान पुत्र महेन्द्र हाल निवासी प्राइमरी स्कूल वाली गली ग्राम साहिबाबाद थाना लिंकरोड गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम सयचाँग थाना सदर भिवानी जिला भिवानी हरियाणा उम्र करीब 31 वर्ष को प्राइमरी स्कूल वाली गली ग्राम साहिबाबाद चौकी क्षेत्र रेलवे रोड से गिरफ्तार कर 3/10 उ0प्र0 गुण्डागर्दी नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

मा0 न्यायालय व अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के आदेश के अन्तर्गत धारा 2/3 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 18.09.2025 को आदेश तामील कराया गया था एवं भली-भाँति अवगत कराया गया था कि उपरोक्त आदेश के अनुपालन में लिखित छः माह से पूर्व गाजियाबाद की सीमाओं में प्रवेश नहीं करेंगे।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त सत्यभान पुत्र महेन्द्र हाल ने पूछने पर बताया कि मुझे मा0 न्यायालय व अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के द्वारा 06 माह के लिये जिला बदर किया गया था। मैं दिल्ली रहता था कभी-कभार चोरी छुपे परिवार से मिलने गाजियाबाद आता था। आज मै पुनः अपने परिवार से मिलने आया था। कि आपने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सत्यभान पुत्र महेन्द्र हाल निवासी प्राइमरी स्कूल वाली गली ग्राम साहिबाबाद थाना लिंकरोड गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम सयचाँग थाना सदर भिवानी जिला भिवानी हरियाणा उम्र करीब 31 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त सत्यभान पुत्र महेन्द्र उपरोक्त के विरुद्ध थाना लिंकरोड़ पर चोरी, चोरी का सामान बरामद होने, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट आदि से सम्बन्धित 05 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना लिंकरोड पुलिस टीम।

गाजियाबाद पुलिस का अपराध के विरुद्ध सशक्त अभियान

स्वाट टीम, अपराध शाखा पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा थाना भोजपुर पर फर्जी तरीके से फर्जी पतों पर पासपोर्ट बनाने के सम्बन्ध मे पंजीकृत अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक-01.02.2026 को थाना भोजपुर पर मु0 अ0 सं0-23/26 धारा- 61(2)/318(4)/338/ 336(3)/340(2) BNS व 66 IT ACT पंजीकृत किया गया था जिसमे फर्जी पतों पर अवैध रूप से 22 व्यक्तियों के विरूद्ध पासपोर्ट निर्गत किये जाने के आरोप अंकित है। प्रकरण की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त अभियोग की विवेचना को अपराध शाखा स्थानान्तरित किया गया।

मुकदमा उपरोक्त मे पूर्व में 08 अभियुक्तगण 1. अरुण कुमार 2. विवेक गांधी 3. प्रकाश सुब्बा 4. सतवंत कौर 5. अमनदीप सिंह उर्फ अजमीत सिंह 6. पुष्पेन्द्र कुमार पोस्टमैन,डाकघर भोजपुर 7. प्रांशु मिश्रा उर्फ अभिषेक पोस्टमैन,डाकघर त्यौडी 8. हजमीत उर्फ रजमीत सिंह को कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

दिनांक-03/03/2026 को स्वाट टीम, अपराध शाखा व विवेचक द्वारा उक्त अभियोग में अभियुक्त मुश्ताक अहमद तथा मुदासिर खान को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गयी है। जिनके द्वारा फर्जी अभिलेख को तैयार कर फर्जी पतों पर कई पासपोर्ट तैयार कराये गये थे। विवेचना मे अब तक उक्त दोनो अभियुक्तों सहित कुल 10 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त मुश्ताक अहमद द्वारा बताया गया कि वह दिल्ली पिछले कई वर्षों से अलग-अलग पतों पर निवास कर रहा है तथा प्रोपर्टी डीलिंग एंव लोगो के पासपोर्ट बनवाने का कार्य करता है। थाना भोजपुर पर पंजीकृत फर्जी पासपोर्ट बनवाने की घटना के अभियोग में पूछताछ पर मुश्ताक ने बताया कि उसने फर्जी दस्तावेजों एंव फर्जी पतों के आधार पर कई फर्जी पासपोर्ट तैयार कराये थे जिसमें प्रत्येक पासपोर्ट को बनवाने की एवज में प्रत्येक ग्राहक से 01 लाख 50 हजार रुपये लिए थे। मुश्ताक ने बताया कि फर्जी पासपोर्ट बनवाने हेतु ग्राहक लाने का कार्य उसका साथी मुदासिर खान करता था तथा जिसके लिए मुश्ताक द्वारा मुदासिर को 25 हजार रूपये प्रत्येक पासपोर्ट दिये जाते थे। अभियुक्त मुदासिर ने पूछताछ पर बताया कि वह मूल रूप से कश्मीर का रहने वाला है तथा पिछले कई वर्षों से दरियागंज, दिल्ली में रह रहा है तथा ओला-ऊबर में टैक्सी ड्राईविंग का काम करता है। वर्ष 2019 मे फर्जी कागजात बनवाने के सम्बन्ध में मुदासिर की मुलाकात मुश्ताक से हुई थी। तभी से दोनों साथ में फर्जी दस्तावेज तैयार करने व फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फर्जी पतों पर फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनवाने का कार्य कर रहे थे।

अभियुक्त मुश्ताक ने यह भी बताया कि फर्जी दस्तावेज तैयार होने के पश्चात् फर्जी पासपोर्ट तैयार कराने का कार्य इनके गिरोह का इनका साथी विवेक गाँधी दिल्ली द्वारा किया जाता था जिसकी भी पूर्व में गिरफ्तारी हो चुकी है ।

उक्त अभियोग में वांछित अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध मे टीमें बनाकर लगातार दबिशे दी जा रही है।

अपराध कारित करने का तरीका –

1. खुद के मोबाईल नम्बर और ईमेल आईडी से ही पासपोर्टो का आवेदन किया जाना- उक्त गैंग द्वारा खुद के मोबाईल नम्बरो से ही पासपोर्ट का आवेदन किया जाता था। इसके लिए गैंग फर्जी दस्तावेजो पर सिम कार्ड लेते थे। उक्त प्रकरण मे कुल 22 पासपोर्टो मे से 13 एक ही मोबाईल नम्बर से ,06 एक अन्य मोबाईल नम्बर,02 एक अन्य मोबाईल नम्बर से आवेदन किया जाना पाया गया है। अभियुक्तगणो द्वारा आवेदक से केवल उसके फोटो और हस्ताक्षर लिए जाते थे।

2. फर्जी दस्तावेज तैयार करवाना – उक्त गैंग द्वारा आवेदक का आधार कार्ड,ड्राईविंग लाईसेंस ,बर्थ सर्टिफिकेट और पासबुक के रुप मे फर्जी दस्तावेज तैयार करवाकर पासपोर्ट आवेदन किया जाता था फर्जी दस्तावेज तैयार कराने मे मुश्ताक व गैंग के अन्य सदस्य सहयोग करते थे।

3. POPSK(पोस्ट आफिस पासपोर्ट सेवा केन्द्र) को टारगेट करना – उक्त गैंग द्वारा पोस्ट आफिस पासपोर्ट सेवा केन्द्र को टारगेट किया जाता था क्योकि वहाँ पर टीसीएस का ट्रेंड स्टाफ रहता है ,पासपोर्ट सेवा केन्द्र मे सर्वप्रथम जांच होने के उपरांत टोकन मिलता है फिर ए बी सी अलग अलग काउंटर से फाईल गुजरती है ,जहाँ पर ए डेस्क पर टेक्निकल आफिसर के रुप मे टीसीएस का ट्रेंड स्टाफ रहता है जो फोटो और बायोमेट्रिक लेते है। बी डेस्क पर वेरिफिकेशन आफिसर रहते हैं, जो मूल दस्तावेजो की स्कैनिंग होने के उपरान्त पूरी फाईल डेस्क पर चली जाती है ,जिसको ग्रांटिंग आफिसर डेस्क के नाम से भी जाना जाता है। PSK में ट्रेंड स्टाफ तथा चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगे होने और बेहतर सिक्योरिटी रहने के कारण गैंग को पकडे जाने का भय रहता था और इसी कारण गैंग PSK में पासपोर्ट आवेदन करने में असहज रहता था। इसके इतर POPSK (पोस्ट आफिस पासपोर्ट सेवा केन्द्र) मे केवल पोस्ट आफिस का ही स्टाफ रहता है और सीसीटीवी व अन्य सुरक्षा मानक अपेक्षाकृत कम रहने के कारण हम फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से पासपोर्ट आवेदन करने हेतू POPSK को ही टारगेट करते थे। POPSK (पोस्ट आफिस पासपोर्ट सेवा केन्द्र) में डेस्क की जगह केवल एक ही डेस्क रहती है जहाँ पर पोस्ट आफिस का ही स्टाफ रहता है ,इसलिए वहाँ पर बारीकी से परीक्षण नही हो पाता और पासपोर्ट बनवाने मे सहूलियत होती है। इसी कारण से पोस्ट आफिस पासपोर्ट सेवा केन्द्र में जानबूझकर आवेदन कराया जाता था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.मुश्ताक अहमद पुत्र स्व0 अकबर हुसैन निवासी फ्लैट न0- 201 प्लॉट न0 सी-138 लेन-4 जौहरी पार्क जामियानगर थाना जामियानगर दिल्ली मूल पता ए-792 डीडीए कालोनी ख्याला थाना ख्याला दिल्ली उम्र करीब 55 वर्ष
2.मुदासिर खान पुत्र एजाज अहमद खान निवासी म0न0-2375 FF गली आउलिया ऊँछा चलान दरियागंज दिल्ली मूल पता म0न0-289 काशी मौहल्ला कस्बा व थाना बटमालू जिला श्रीनगर कश्मीर उम्र करीब 45 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

गिरफ्तार अभियुक्तो के विरूद्ध थाना भोजपुर पर उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

स्वाट टीम, अपराध शाखा पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

साइबर सेल थाना टीलामोड पुलिस टीम द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 1,39,100/- रुपये की धनराशि वापस करायी गई।

दिनांक 30.08.2024 को साइबर सेल थाना टीलामोड कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा शिकायतकर्ता हर्ष तोमर निवासी इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी थाना टीलामोड कमिश्नरेट गाजियाबाद के साथ हुए ऑनलाइन यू0पी0आई0 पेमैन्ट के माध्यम से ठगी के सम्बन्ध में दिनांक 09.01.2025 को एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत प्राप्त हुई। उक्त सम्बन्ध में साइबर सेल थाना टीलामोड पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए शिकायतकर्ता से ऑनलाइन पेमैन्ट के जरिए ठगी गई कुल धनराशि 1,39,100/- रुपये को वापस कराया गया।

कार्यवाही का विवरणः-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना टीलामोड कमिश्नरेट गाजियाबाद को एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से शिकायतकर्ता हर्ष तोमर निवासी इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी थाना टीलामोड कमिश्नरेट गाजियाबाद के साथ हुए ऑनलाइन यू0पी0आई0 पेमैन्ट के माध्यम से ठगी कुल 1,39,100/- रूपये की ऑनलाइन ठगी से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी। जिस पर साइबर सेल थाना टीलामोड कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए वादी के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को बैक से पत्राचार कर होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद आज दिनांक 03.03.2026 को वादी से ऑनलाइन ठगी कुल धनराशि 1,39,100/- वापस करायी गई।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीमः-

साइबर सेल थाना टीलामोड पुलिस टीम।

थाना साइबर क्राइम, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा .APK फाइल द्वारा फोन हैक कर साइबर फ्रॉड करने वाले अभियुक्त गण की गिरफ्तारी, थाना साइबर क्राइम गाजियाबाद सहित 16 राज्यों में करीब 3 करोड़ रुपये की 94 घटनाओं का खुलासा, घटना में प्रयुक्त 12 मोबाइल फोन, 02 लैपटॉप, 08 सिम, 01 कार बरामद।

डा0 श्रवण कुमार शर्मा निवासी मोदीनगर गाजियाबाद के साथ उनके मोबाइल फोन पर व्हाट्सअप के माध्यम से RTO E-CHALLAN.apk फाइल भेजकर फोन हैक कर दिनांक 10.02.2026 से 19.02.2026 के मध्य साइबर फ्रॉड की घटना हुई। डा0 श्रवण कुमार शर्मा के फोन को हैक कर उनके बैंक खातों से 31,81,706/- रुपये साइबर फ्रॉडस्टरों द्वारा अपने खातों में ट्रांसफर कर साइबर ठगी की घटना हुई थी। उपरोक्त घटना में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही थी।

थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा विवेचना के क्रम में उपरोक्त अभियोग में इस साइबर फ्रॉड की घटना करने वाले झारखण्ड एवं बिहार राज्य के गैंग के सदस्य पिन्टू कुमार पुत्र गणेश यादव, आदर्श कुमार पुत्र राजेश कुमार केसरी एवं प्रशान्त दीप पुत्र श्याम सुन्दर चौधरी को थाना क्षेत्र विजय नगर से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि अभियुक्त आदर्श कुमार ने फोन हैक कर साइबर फ्रॉड करने की ट्रेनिंग झारखण्ड के घोरमारा निवासी अपने दोस्त अभिषेक कुमार से लिया था। अभिषेक ने उसे विभिन्न प्रकार की एपीके फाईल भेजकर साइबर फ्रॉड करने के बारे में बताया था। अभिषेक से ट्रेनिंग लेने के बाद ये तीनों अभियुक्त मिलकर APK फाइल लोगों के मोबाइल में व्हाट्सअप से भेजकर उनका फोन हैक कर लेते थे। साइबर फ्रॉड करने के लिये लोगों के कान्टेक्ट नम्बर प्राप्त करने के लिये ये लोग गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध Girl Friend Number एप का प्रयोग करते थे। इस एप के माध्यम से हजारों की संख्या में लोगों के मोबाइल नम्बर उनके मोबाइल में सेव हो जाता था। इसके बाद ये लोग व्हाट्सअप पर .APK फाइल भेजने के लिये अपने अन्य साथी पंकज कुमार यादव निवासी बटिया सोना जमुई बिहार से से 1200 रुपये प्रति सिम के हिसाब से सिम 700खरीदा करते थे। ये लोग टेलीग्राम आईडी @MR_4_0_4 से लोगों के फोन हैक करने के लिये APK फाइल खरीदते थे। APK फाइल के माध्यम से लोगों के फोन हैक कर उसका डाटा साहिल स्नेप चैट आईडी Sahil___31 को भेजते थे। साहिल उस डाटा के माध्यम से लोगों के मोबाइल फोन का कन्ट्रोल प्राप्त कर उन लोगों की मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से उनके बैंक के खातों से पैसे साइबर फ्रॉड हेतु व्यवस्था किये गये बैंक खातों में ट्रांसफर कर एटीएम से पैसे निकाल कर अपना हिस्सा लेकर इन लोगों को पैसे दे दिया करता था। अभियुक्त साहिल, पंकज यादव एवं अभिषेक की तलाश की जा रही है।

इनसे बरामद साक्ष्य से ज्ञात हुआ कि इनके द्वारा मोबाइल फोन हैक करने के लिये मुख्य रूप से प्रयोग की गई APK फाइल इस प्रकार है – 1. BHIM BYPASS.apk 2. RTO TRAFFIC CHALLAN1000.apk 3. BHIM_4.0.11.apk 4. Paytm pagal v2.apk 5. PKKBOOK.apk 6. Indian Overseas Bank.apk 7. Tata Neu_sign.apk 8. M Parivahan.apk हैं। इन फाइलों का प्रयोग कर इनके द्वारा सैकड़ों घटनाओं को अंजाम दिया गया है। जिसके बारे में जानकारी की जा रही है।

इनके पास से बरामद साक्ष्यों से 15 राज्यों की कुल 94 घटनाओं जिनमें आन्ध्र प्रदेश राज्य की 1, आसाम राज्य की 2, बिहार राज्य की 10, दिल्ली राज्य की 8, गुजरात राज्य की 15, कर्नाटक राज्य की 5, केरल राज्य की 1, महाराष्ट्र राज्य की 5, मध्य प्रदेश राज्य की 2, ओडिशा राज्य की 5, पंजाब राज्य की 1, राजस्थान राज्य की 3, तमिलनाडु राज्य की 4, उत्तराखण्ड राज्य की 29, पश्चिम बंगाल राज्य की 3 मोबाइल फोन हैक करने का विवरण प्राप्त हुआ है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-</u>

1. पिन्टू कुमार पुत्र गणेश यादव निवासी ग्रा0 गादी कटोना थाना मलेपुर पोस्ट कटोना जनपद जमुई, बिहार हाल पता क्वार्टर नं0 334 ए रेलवे कालनी झाझा थाना झाझा जनपद जमुई, बिहार उम्र करीब 25 वर्ष, शिक्षा – बी.ए.।
2. आदर्श कुमार पुत्र राजेश कुमार केसरी निवासी नवाब रोड पीपराडीह, झाझा थाना झाझा जनपद जमुई, बिहार उम्र 23 वर्ष, शिक्षा – बी.कॉम।
3. प्रशान्त दीप पुत्र श्याम सुन्दर चौधरी निवासी काली मन्दिर के पास कोराडीह घाघी जसीडीह थाना जसीडीह जनपद देवघर झारखण्ड उम्र 27 वर्ष, शिक्षा- इलैक्ट्रीकल में डिप्लोमा।

<u>बरामदगी का विवरण</u> – घटना में प्रयुक्त 12 मोबाइल फोन, 02 लैपटॉप, 08 सिम, 01 कार।

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीम</u> - थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।